National Journal of Multidisciplinary Research and Development
ISSN: 2455-9040; Impact Factor: RJIF 5.22
www.nationaljournals.com
Volume 2; Issue 2; May 2017; Page No. 96-97

प्रेमचंद के साहित्य में वैधव्य की पीड़ा

संजय कुमार

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, हरयाणा, भारत।

प्रस्तावना

उपन्यास–सम्राट प्रेमचंद जी के साहित्य में भारतीय समाज का सजीव चित्रण हुआ है। उनके साहित्य में नारी के विभिन्न रूपों का वर्णन है। इन्हीं अनेक रूपों में से नारी का एक शोषित रुप भी है। भारत में सदियों से नारी को द्वितीय श्रेणी का नागरिक ही माना जाता रहा है। नारी पुरुष के लिए सदैव एक वस्तु ही रही है। भारतीय समाज में नारी सदियों से पीड़ित, उपेक्षित व शोषित रही है।

नारी सृष्टि की निर्मात्री व पुरुष के पूर्ण करने वाली होती है। नारी का शोषण करने वाले पुरुष भी नारी की देन है, किन्तु जन्म से लेकर मृत्यु तक नारी किसी–न–किसी रुप में पुरुष के शोषण का शिकार हुई है। उसे सदैव किसी–न–किसी स्वामी के अधीन अनुशासन में ही जीवन व्यतीत करना होता है। प्रेमचंद जी यथार्थ लिखते है कि नारी की अस्मिता, सुख, सौभाग्य सब केवल पति तक ही सीमित हो जाता है। वे लिखते है– "सौभाग्यवती स्त्री के लिए उसका पति संसार की सबसे प्यारी वस्तु होती है। वह उसी के लिए जीती व उसी के लिए मरती है। उसका हँसना–बोलना उसी को प्रसन्न करने के लिए और उसका बनाव–श्रृंगार उसी को लुभाने के लिए होता हैं।"[1]

पति की मृत्यु के उपरांत पत्नी विधवा कहलाती है अैर उस पर सामाजिक–बंधन की जंजीर और अधिक सख्ती से कस दी जाती है। 'प्रतिज्ञा' उपन्यास में प्रेमचंद जी इसका यथार्थ वर्णन करते है– "अगर आज किसी दैवी बाधा से यह मकान गिर पड़े तो हम कल ही उसे बनाना शुरु कर देंगे, मगर जब किसी अबला के जीवन पर दैवी आघात हो जाता है तो उससे आशा की जाती है कि वह सदैव उसके नाम को रोती रहे। यह कितना बड़ा अन्याय है। यह कितना बड़ा अन्याय है। पुरुषो ने यह विधान केवल अपनी काम–वासना को तृप्त करने के लिए बनाया है।"[2] पुरुष द्वारा निर्मित समाज के इस कठोर बंधन की निंदा करते हुए वे 'नैराश्य नलीली' कहानी में वे कैलाशी के पुन र्विवाह के मुक्त हृदय से पक्षधर है।

'बेटों वाली विधवा' कहानी में पति की मृत्यु के बाद विधवा फूलमती की अत्यंत दयनीय दशा का वर्णन करते हैं। उसके पुत्र व पुत्र वधू हर प्रकार से उसकी उपेक्षा कर के छल से बीस हजार नकद, आभूषण, बाग–बगीचे सब कुछ हथिया लेते हैं। दहेज न देने के लिए वे अपनी बहन का विवाह एक बूढ़े व्यक्ति से कर देते हैं। कानूनन "बाप के मरने के बाद जायदाद बेटों की हो जाती है। माँ का हक केवल रोटी–कपड़े का है।"[3]

'शूद्रा' कहानी की विधवा ब्राह्मणी पति की मृत्यु के बाद भी उससे तंत्र–मंत्र के माध्यम से बात करना चाहती है। इसका लाभ उठाकर एक वृद्ध उसे बेहोश कर कलकत्ता लाकर वहां से मिर्च देश भेज देता है किन्तु वह नारी अपने सतीत्व के रक्षा के लिए कहती है– "मजूरी ही करनी पडे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी ने कुदष्टि से देखा तो मैंने निश्चत कर लिया है कि या तो उसी के प्राण ले लूंगी या अपने प्राण दे दूंगी।"

'धिक्कार' कहानी की मानी लोकापवाद सहने की अपेक्षा विधवा का जीवन व्यतीत करना कल्याणकारी समझकर कहती है– "वह गाली, झिड़की, मार–पीट तक सह लेगी, कोई उस पर संदेह तो न करेगा। उस पर मिथ्या लांछन तो न लगेगा। शोहदों और लुच्चों से उसकी रक्षा होगी।"[5] मानी का मन बहुत मुश्किल से अपने चचेरे भाई गोकुल के मित्र इंद्रनाथ से पुनर्विवाह को राजी होता है तो वह चाचा की डांट–"तेरे जेसी पापिष्ठाओं का मरना ही अच्छा है, पृथ्वी का बोझ कम हो जाएगा।"[6] के कारण हुई आत्य–ख्लनि से आत्महत्या कर लेती है। 'शूद्रा' कहानी की शूद्र विधवा गंगा अपनी बेटी के साथ पीड़ादायक जीवन व्यतीत करते हुए कहती है सतीत्व की रक्षा के लिए उसने "न कोई दूसरा घर किया था, न कोई दूसरा धंधा ही करती थी।"[7]

इस प्रकार उपर्युक्त पात्रों की जुबानी प्रेमचंद जी ने समाज में विधवाओं के नारकीय जीवन का हृदय विदारक चित्रण किया है। सभ्य समाज में नारी की यह दुर्गति किसी भीषण विडम्बना से कम नहीं है।

एक जमाने में वह समय अलग था जब नारी मृत पति के साथ सती हो जाया करती थी। इसके बाद उन्हें जबरन भी पति की चिता के साथ सदियों तक जलाया गया। 19वीं सदी में सती–प्रथा के उन्मूलन के बाद पति की मृत्यु के बाद विधवा नारी के लिए अनेक प्रकार के सामाजिक बंधनों से विधवा नारी पर अनेक प्रतिबंध लगाए हुए है। प्राचीन काल में सती न हो सकने वाली विधवा कठोर ब्रह्मचर्य का निर्वहन करते हुए जीवन व्यतीत करती थी। मध्ययुग में विधवाओं को पति–घातिनी, पापिनी, कुलटा, कुलक्षिणी आदि के संबोधन ही नहीं दिए गए बल्कि उन्हें विवाह, व्रत, उपवास, तीर्थ आदि सभी मांगलिक कार्यों से प्रतिबंधित कर दिया गया। विधवा को अशुभ करार दे दिया गया। विधवाओं के अमंगलकारी होने के सामाजिक अंधविश्वास के कारण उन्हें समाज व परिवार द्वारा सती होने के लिए प्रेरित किया जाता था। विधवाओं द्वारा थोड़ी सी भी सहमति हो जाने पर उसे बिना पुनर्विचार का मौका दिए बिना ही बर्बरता पूर्वक चिता में जला दिया जाता। विधवा चाहे कितनी भी कम उम्र की हो उसे पुनर्विवाह के विषय में सोचने का अवसर न दिया जाता। ऐसा सोचना भी अधार्मिक माना जाता। प्राचीन काल में बाल–विवाह के प्रचलन के कारण अधिकतर बाल–विधवाओं को वैधव्य के अभिशाप को उम्रभर झेलना पड़ता था। कुंद मानसिकता व अत्यंत रूढ़िग्रस्तता के कारण विधवाओं को नारकीय जीवन जीना पड़ता था। प्रेमचंद जी विधवाओं के जीवन के नवीन मानदंडों के पक्षधर थे। उनके अनुसार विधुर पुरूष पुनर्विवाह कर के संतानोत्पति कर सकता है, स्त्री के जीवन पर अनेक प्रतिबंध लादकर उसके जीवन को त्रासद बना देना धर्म या न्याय नहीं हो सकता।

नारी शिक्षा पर प्रेमचंद जी अधिक बल देते हैं। अशिक्षित व पराश्रित विधवाओं का जीवन अत्यंत दुःखदायी बन जाता है। वे आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होने के कारण पराश्रित जीवन जीती हैं। उनका समस्त जीवन अपमान व तिरस्कार सहते हुए व्यतीत होता है। ऐसी विधवाओं के लिए युग के अनुरूप प्रेमचंद जी ने विधवाश्रमों का सुझाव दिया है जिसमें उन्हें शिक्षित करके रोजगा का प्रशिक्षण देकर जीविकोपार्जन के योग्य बनाया जाए किंतु विधवाओं को वेश्यालयों में बदलते देखकर वे अनुमान लगाते हैं कि इन संस्थाओं की स्थापना से इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। जब तक स्त्रियों की सामाजिक–स्थिति में बदलाव नहीं होता व समाज विधवाओं के प्रति अपने दृष्टिकोण को नहीं बदलता तब तक विधवाओं का उद्धार संभव नहीं है। प्रेमचंद जी ने उच्चवर्ग व निम्नवर्ग की विधवाओं के जीवन पर समुचित प्रकाश

डाला है। उच्च वर्ग की विधवाएं या तो सती हो जाती हैं या यदि वे विधवा का जीवन जीती हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार के आर्थिक कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। वे राष्ट्रसेवा या धार्मिक कार्यों में लगकर अपना जीवन व्यतीत कर सकती हैं। निम्नवर्ग में नैतिकता के बंधन अपेक्षाकृत उतने कठोर नहीं होने के कारण विधवाओं को पुनर्विवाह की कोई समस्या नहीं है। देवर–भाभी में आसानी से पुनर्विवाह हो जाते हैं और यदि कोई स्त्री अपनी इच्छानुसार वैधव्य को स्वीकार कती है तो उसे पश्चाताप नहीं होता। ऐसी विधवाओं को प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य में पुनर्विवाह कर घर बसाते या विधवा का जीवन जीते दिखाया है जबकि सर्वाधिक समस्या मध्यवर्गीय विधवा महिलाओं के लिए खड़ी हो जाती है। वे वैधव्य के कष्ट को झेलती है कि उन्हें अगले जन्म में वैधव्य को सहन नहीं करना होगा।

संदर्भ

1. प्रेमचंद, वरदान पृ. 115
2. प्रेमचंद, प्रतिज्ञा वरदान पृ. 108
3. प्रेमचंद, मानसरोवर–भाग–1 पृ. 66
4. प्रेमचंद, मानसरोवर–भाग–2 पृ. 286
5. प्रेमचंद, मानसरोवर–भाग–2 पृ. 173
6. प्रेमचंद, मानसरोवर–भाग–2 पृ. 182
7. प्रेमचंद, मानसरोवर–भाग–2 पृ. 280